

## प्रतिपूर्ति का दावा प्रपत्र

RTE एक्ट 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के लिए

सत्र - 2018-19

किश्त - द्वितीय

क्लेम क्रमांक - 2301061 दिनांक - 10/12/2019

स्कूल कोड - P28976

निजी विद्यालय का नाम मय पी. एस. पी कोड - DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL (08270216705)

जिला / ब्लॉक - DUNGARPUR / DUNGARPUR ग्राम/वार्ड - NP DUNGARPUR\_WARD NO.3

बैंक का नाम - STATE BANK OF INDIA

बैंक IFSC कोड - SBIN0006885

खाता संख्या - 34260625241

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित प्रति बालक प्रतिवर्ष प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि (युनिट कॉस्ट) - रु. 13,536/-

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं सहायक सामग्री के पुनर्भरण हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 126 रु प्रतिबालक प्रति वर्ष।

निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई। - हाँ

क्र.स.	कक्षा	माध्यम	भौतिक सत्यापन एवं निःशुल्क प्रवेशित बालको की संख्या	विद्यालय द्वारा शेष 75% बालकों से ली जाने वाली प्रति बालक कक्षावार सत्यापित वार्षिक शुल्क की राशि	आदेश दिनांक:-1-1-18 के बिन्दु संख्या 1 व 2 के तहत निर्धारित शुल्क	कॉलम संख्या 5,6 एवं युनिट कॉस्ट में से जो भी राशि न्यून है के आधार पर विद्यालय की पुनर्भरण हेतु दावा राशि [(कॉलम सं 4 के अनुसार छात्र सं X कॉलम सं 5,6 व युनिट कॉस्ट में जो भी कम हो)/2]	प्रथम किस्त में दी गयी अतिरिक्त राशि	समायोजन उपरान्त कुल चाही गयी राशि
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	PP.3+	English	1	13000	13350	6500	0	6500
2	PP.4+	English	3	13000	13996	19500	0	19500
3	First	English	3	16000	14808	20304	0	20304
4	Second	English	9	16000	14808	60912	0	60912
5	Third	English	3	16000	14808	20304	0	20304
6	Fourth	English	3	16000	17226	20304	0	20304

कुल चाही गयी राशि	निःशुल्क/रियायत दरों पर प्राप्त भूमि/ भवन/उपस्कर के आदेश में निःशुल्क शिक्षा दिए जाने वाले बालको की संख्या के आधार पर कटौती की जाने योग्य राशि	कुल देय राशि
₹ 147824	₹ 0	₹ 147824

कुल देय राशि(शब्दों में) - One Lakh Forty Seven Thousand Eight Hundred and Twenty Four Only

## अध्यक्ष/सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के प्रावधानानुसार एवं उपरोक्त अनुसार अध्वनरत बालकों की सूची संलग्न की जा रही है।
- इन बालकों के प्रवेश के लिए आर.टी.ई. के प्रावधानानुसार प्रवेश प्रक्रिया की पालना पूर्ण रूप से की गयी है तथा इन विद्यार्थियों से संबंधित समस्त अभिलेख संधारित कर लिये गये हैं।
- विद्यालय को निःशुल्क/रियायती दरों पर भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं आवंटित होने पर आवंटन शर्तों के अनुसार नियमानुसार कटौती, उपरोक्तानुसार दर्ज कर दी गयी है।
- बालकों के माता-पिता/अभिभावकों से किसी भी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया गया है और न ही सत्र के दौरान वसूल किया जायेगा।
- विद्यालय को ज्ञात है कि सत्र 2018-19 की प्रथम/द्वितीय किस्त की पुनर्भरण राशि का भुगतान राज्य सरकार के पत्रांक - प. 12 (6) शिक्षा-5/आरटीई दिशा निर्देश / 2014 पार्ट जयपुर, दिनांक 01-01-18 के अनुसारण में किया जा रहा है।
- विद्यालय को ज्ञात है की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में विद्यालय को द्वितीय किस्त का भुगतान तक नहीं किया जायेगा जब तक कि बालकों को विद्यालय द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री उपलब्ध नहीं करवा दी जाती है।
- विद्यालय को ज्ञात है कि इस क्लेम बिल की अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर युक्त हार्ड प्रति रजिस्टर्ड (ए.डी.) डाक द्वारा सम्बन्धित DEO(ELE)/DEO(SEC) संभागीय कार्यालय को समयावधि में प्रेषित की जाती है।
- विभाग द्वारा किसी प्रकार की विसंगति/अन्यथा बात पाई जाती है तो शिक्षा विभाग को संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा और संस्था द्वारा प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि शिक्षा विभाग को लौटा दी जायेगी।
- विद्यालय को यह ज्ञात है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 की प्रथम किस्त का भुगतान अस्थायी (Provisional) किया गया है। शैक्षिक सत्र 2018-19 की वास्तविक फीस की गणना, फीस निर्धारण समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए निर्धारित शुल्क में से ए.टी.ई. के आधार पर पुनः गणना कर निर्धारित की गयी है तथा प्रथम किस्त में की गयी अतिरिक्त राशि का समायोजन द्वितीय किस्त में किया गया है।
- आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत निःशुल्क शीट्स पर अध्वनरत सभी विद्यार्थियों के आधार संख्या/आधार पंजीयन संख्या का मिलान कर सत्यापन कर लिया गया है।



SRSL Educational Society

PRINCIPAL

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर

DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL

DUNGARPUR

PRINCIPAL

DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL

नोट : NIC विभिन्न स्कूलों / डीईओ(प्रा.शि.) / डीईओ(मा.शि.) द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड किए गए डाटा की शुद्धता के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी/संस्कार/कैरवा हेतु डाटा में किसी भी प्रकार की विसंगति के लिए स्कूल / डीईओ(प्रा.शि.) / डीईओ(मा.शि.) निर्धारित नहीं है। निःशुल्क/रियायती दरों पर भूमि, भवन, उपस्कर या अन्य सुविधाएं आवंटित होने पर आवंटन शर्तों के अनुसार नियमानुसार कटौती, उपरोक्तानुसार दर्ज कर दी गयी है। स्कूल द्वारा उपरोक्त प्रपत्र दिनांक : 12-12-2019 को प्रिंट किया गया है।

RTE एक्ट 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश उपरान्त सत्यापित बालकों की सूची  
निजी विद्यालय का नाम मय डीएस कोड - DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL (08270216705)

सत्र - 2018-19

किश्त - द्वितीय

क्लेम क्रमांक - 2301061

कुल सत्यापित बालक - 22

**ज्ञापन**  
**SRSL के अन्तर्गत 25% सीटों पर प्रवेशित बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रपत्र (सत्र 2019-20)**

विद्यालय का नाम	DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL	आईस कोड	08270218708
विद्यालय का पूर्ण पता	BICHHIWARA ROAD		
जिला	DUNGARPUR	ब्लॉक	DUNGARPUR
ग्राम पंचायत/पू एन बी	NP DUNGARPUR	ग्राम / वार्ड	NP DUNGARPUR_WARD NO.3
विधानसभा क्षेत्र	DUNGARPUR (158)	पिन कोड	314001

4. मान्यता के आधार पर विद्यालय में शिक्षण का माध्यम :-

विद्यालय के दो माध्यम होने पर सम्भवतः विवरण :-*	English		
<b>अंग्रेजी माध्यम</b>			
विद्यालय श्रेणी	Pr. with Up.Pr. sec. with Higher Sec	विद्यालय का प्रकार	
अंतिम मान्यता संख्या	19402/99/97-98	अंतिम मान्यता दिनांक	15/12/1997
विद्यालय किस बोर्ड से सम्बद्ध है	Central Board of Secondary Education	मान्यता नंबर	1730171
मान्यता प्राप्ति दिनांक	01/04/2002		
Note :- आरटीई मान्यता आदेश क्रमांक / दिनांक : 01/04/2010 से पूर्व के विद्यालयों पर लागू।			
आरटीई मान्यता आदेश क्रमांक		आरटीई मान्यता आदेश दिनांक	
पूर्ण आवासीय विद्यालय		नहीं	

विद्यालय का सम्पर्क विवरण

संस्था प्रधान का नाम	Mr R D Sharma	संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर	+91- 9414307333
फोन नंबर	एस टी डी कोड	फोन नं.1	फोन नं.2
विद्यालय का ई-मेल		principal@dps@srsi.in	

विद्यालय का स्तर विवरण

विद्यालय में संचालित एंटी कक्षा	PP.3+	विद्यालय में संचालित अंतिम कक्षा	Twelfth
क्या विद्यालय को अल्पसंख्यक श्रेणी की मान्यता है?		नहीं	
क्या विद्यालय आरटीई की धारा 12 (1) (ग) के तहत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश देता है?		हाँ	

SRSI Educational Society

PRINCIPAL  
DUNGARPUR PUBLIC SCHOOL  
DUNGARPUR

1. निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम, पद एवं पदस्थापन स्थान

निरीक्षणकर्ता अध्यक्ष

नाम	LATA BHATT	पद	Principal
पदस्थापन स्थान	G.SR.SEC.S.PALVADA,DUNGARPUR	मोबाइल नं.	9783821785